भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 352
जिसका उत्तर बृहस्पतिवार, 13 दिसम्बर, 2018 को दिया जाना है

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को भुगतान किया जाना

352. सरदार बलविंदर सिंह भुंडर:

क्या भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री दिनांक 9 अगस्त, 2018 को राज्य सभा में दिए गए अतारांकित प्रश्न 2586 के उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगें किः

(क) क्या भुगतान करने हेतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एम एस एम ई) का सत्यापन पूर्ण हो चुका है और मेसर्स इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा द्वारा अपेक्षित सभी दस्तावेज एम एस एम ई द्वारा दिए जा चुके हैं;

(ख) यदि हाँ, तो जब मेसर्स आई एल के कर्मचारियों को वी आर एस/वी एस एस योजना के अंतर्गत भुगतान की स्वीकृति दी जा चुकी है तो एम एस एम ई को देय वैध बकाया जारी करने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एम एस एम ई का भुगतान कब तक करेंगे?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (ग): इंस्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड, कोटा ने सूचित किया है कि दिनांक 9 अगस्त, 2018 के लिए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2586 के उत्तर के संदर्भ में, मेसर्स केपिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, नोएडा के मामले में भुगतान की प्रक्रिया आरंभ करते समय यह पाया गया कि भुगतान करने के लिए कुछ और स्पष्टीकरण/दस्तावेज अपेक्षित हैं।

इंस्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड, कोटा ने सूचित किया है कि मेसर्स केपिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, कोटा के प्रतिनिधियों ने पिछले कुछ दिनों में कोटा का दौरा किया है और अपेक्षित दस्तावेज जमा कर दिए हैं। मेसर्स केपिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, कोटा के कार्य आदेश के संदर्भ में एक के बाद एक अनुबंध के लिए देयताओं के निपटान हेतु ₹63,64,198 का भुगतान कर दिया गया है।

*****